भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2375
03 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं
2375. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:
श्री धर्मेंद्र कश्यप:
क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) अंतरराज्यीय सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) निकट भविष्य में नई योजनाओं, यदि कोई हों, को शुरू करने की समय सीमा क्या है;
(ग) नवसृजित सहकारिता मंत्रालय के कामकाज के संबंध में ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले विभागों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) सरकार "कृषि सहकारिता पर केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना" के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा दे रही है। सहकारी समितियों के विकास के लिए, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) और कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण केंद्र (सीआईसीटीएबी) के माध्यम से ऐसे किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता दी जाती है जो विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के सदस्य और कर्मचारी हैं। इसके अलावा, विभिन्न कृषि और संबद्ध गतिविधियों को करने वाली सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, विकसित करने और वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद (एनसीडीसी) को भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) नए कार्यक्रम/स्कीम, सहकारी सेक्टर की मांग और आवश्यकता के अनुसार आरंभ किए जाएंगे।

(ग) और (घ): मंत्रालय का प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के तहत इसके अधिदेश के रूप में होगा, जो अनुबंध-I में है।

अनुबंध-I

i. सभी क्षेत्रों में सहयोग और सहकारिता क्रियाकलापों के समन्वय के क्षेत्र में सामान्य नीति
नोट:- संबंधित मंत्रालय क्षेत्र में सहकारिता के लिए उत्तरदायी हैं।

ii. "सहयोग से समृद्धि" तक के विजन की प्राप्ति

iii. देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को मजबूत करना।

iv. देश के विकास के लिए अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारी-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना।

v. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे (फ्रेमवर्क) का निर्माण।

vi. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले

vii. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

viii. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित न होने वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन:
बशर्ते कि इसके नियंत्रण में कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग 'केंद्र सरकार' होगा।

ix. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थानों के कार्मिकों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों (ऑफिस बियरर्स) और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित)।

*****